कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

विज्ञप्ति संख्या– सात–01(भूलेख–पटवारी भर्ती,2015–अल्मोड़ा)/2015–16

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–1 की स्वीकृति के आधार पर जनपद अल्मोड़ा में रिक्त 89 पदों एवं वर्ष जून, 2017 तक सम्भावित 13 रिक्तियों की गणना करते हुए कुल 102 अभ्यर्थियों का पटवारी प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है।

जनपद की वर्गवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है, रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
15	04	08	75

उक्त पदो हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा यथा महिला **30%** ,भूतपूर्व सैनिक **05%** एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित **02%** आदि

चयन हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10 नवम्बर,2015 को अपराहन् 5:00 बजे तक निम्न अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियो से पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जिला अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में जमा होंगे। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने, घोषणा पर हस्ताक्षर न करने एवं अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। उक्त तिथि दिनांक 10 नवम्बर,2015 के अपराहन् 5:00 बजे के पश्चात् प्राप्त तथा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद जनपद अल्मोड़ा के प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन अवश्य लिखा होना चाहिए।

1– अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

2– पटवारी प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–07–2015 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो।

3– अभ्यर्थी पटवारी पद के लिए केवल एक जनपद हेतु आवेदन कर सकेगा, अन्य जनपद में आवेदन करने पर जनपद अल्मोड़ा के लिए आवेदन नही कर सकेगा।

4– अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

5– अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। (पंजीयन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना भी आवश्यक है)।

6– आवेदन शुल्क सामान्य जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से रू0 300 तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियो से रू0 150 के लिए बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर जो जिलाधिकारी,अल्मोड़ा के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

7– अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् कोई दावा मान्य नही होगा।

8– निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

9– आवेदन पत्र के साथ सभी पुष्टिकारक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकायें एवं निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान अग्रसारित, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी,अल्मोड़ा

आवेदन पत्र

विज्ञप्ति संख्या– सात–01(भूलेख–पटवारी भर्ती,2015–अल्मोड़ा)/2015–16 **आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि– 10 नवम्बर,2015**

पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो

1. आवेदित पद का नाम– ....
(उम्मीदवार स्वयं लिखे)
2. आवेदक का नाम– हिन्दी में–.. अंग्रेजी में–..
3. पिता/पति का नाम– ....
4. निवास स्थान–..
5. (क) जन्म तिथि– अंकों में..................शब्दो में..................
(ख) दिनांक 01 जुलाई,2015 की आयु..................वर्ष..................माह..................दिन..................
6. मूल एवं स्थायी निवास –ग्राम/मौ0..................पोस्ट..................पटवारी क्षेत्र..................तहसील..................जनपद..................पिन कोड..................
6. पत्र व्यवहार का पता – ग्राम/मौ0..................पोस्ट..................पटवारी क्षेत्र..................तहसील..................जनपद..................पिन कोड..................
7. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन संख्या..................दिनांक..................कार्यालय का नाम..................
8. शैक्षिक योग्यता:–

क0सं0	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1 हाई स्कूल						
2 इण्टरमीडिएट						
3 स्नातक						
4 अन्य						

9. अभ्यर्थी यदि कोई अधिमानी अर्हता धारित करता है?– हां/नहीं
10. अन्य विवरण/अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. अभ्यर्थी की श्रेणी– आरक्षित/अनारक्षित
12. जाति– अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13. हॉरिजेन्टल आरक्षण– महिला/भूतपूर्व सैनिक/ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित।
14. यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत हो तो सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी का इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि चयनोपरान्त अवमुक्त करने में कोई कठिनाई एवं विधिक आपत्ति नही होगी।

अग्रसारित हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी (कार्यालय की मुहर)

15. आवेदन शुल्क..................बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर संख्या..................दिनांक..................धनराशि..................
16. राष्ट्रीय खेलो में दक्षता प्राप्त– (क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्य स्तर (ग) जिला स्तर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
17. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थानों पर एवं घोषणा में यथास्थान हस्ताक्षर न किये जाने पर आवदेन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

हस्ताक्षर..................
आवेदक का पूरा नाम..................

घोषणा

उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही एवं सत्य है। कोई प्रविष्टि अस्पष्ट, अपूर्ण, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने अथवा असत्य पाये जाने की दशा में मुझे चयन प्रकिया से वंचित किया जायेगा, इस सम्बन्ध में मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य नही होगा तथा आवेदक का अभ्यर्थन त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने के कारण निरस्त किया जायेगा एवं सक्षम न्यायालय द्वारा भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक– हस्ताक्षर..................
स्थान– आवेदक का पूरा नाम..................

प्रवेश पत्र

अनुकमांक..................

श्री ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..................निवासी ग्राम/मौ0..................पटवारी वृत..................तहसील..................
जिला..................उत्तराखण्ड को दिनांक 27 दिसम्बर,2015 को पूर्वाहन् 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक परीक्षा केन्द्र.................. में पटवारी के रिक्त पदों के प्रशिक्षण हेतु सम्पन्न होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं

हस्ताक्षर,
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

पटवारी प्रशिक्षण चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश :–

1. आवेदन पत्र के साथ रू0 05.00 के टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पते लिखे हुए तीन लिफाफे तथा एक पोस्टकार्ड संलग्न करना आवश्यक है।
2. चयन परीक्षा की प्रकिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
3. अभ्यर्थी का चयन होने पर राजस्व पुलिस प्रशिक्षण एवं भूलेख सर्वेक्षण संस्थान, अल्मोड़ा में एक वर्ष का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा।
4. आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराहन् 05:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से जिलाधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा किये जाय, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र एवं दो पेन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पेंसिल, पाठ्यसामग्री मुद्रित या कागज की प्रतियां, पेजर, मोबाईल, कैलकुलेटर, टैबलेट एवं अन्य आधुनिकतम इलैक्ट्रोनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नही होगी।

7. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
8. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नही हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगें। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए जिला अधिकारी कार्यालय जिम्मेदार नही होगा तथा अन्तिम तिथि को निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जॉच में अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक प्रविष्टियां प्रथमदृष्टया निरस्त किये जायेगें।
10. उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल तथा अन्य समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आवेदक द्वारा जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा भवन में दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
12. राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) के प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा दो चरणों में शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के रूप में आहूत की जायेगी।
13. उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय प्रकृति की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी। उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रत्येक गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो) उस प्रश्न के लिये दिये जाने वाले अंको का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर एक वृत्त को ही पूरी तरह नीले/काले बॉलपैन से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे परिवर्तित नही किया जा सकेगा।
14. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करेंगें कि उत्तर पत्रक को मोड़ा नही जायेगा और उस पर कोई अन्य निशान लगाये नही जायेगें। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक तथा केन्द्र का नाम एवं अन्य प्रविष्टियां उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
15. परीक्षा प्रश्न पुस्तिका (बुकलेट) एवं उत्तर पत्रक का ध्यान पूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक की संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नही कराई जायेगी।
16. पुरूष अभ्यर्थियो के लिए न्यूनतम ऊचाई 168 से0मी0 व महिला अभ्यर्थियो के लिए 152 से0मी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 से0मी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरूष अभ्यर्थियो के लिए सीना फुलाव के साथ 84 से0मी0, जिसमें न्यूनतम 05 से0मी0 का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 से0मी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना चाहिए।
17. पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 कि0मी0 और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 कि0मी0 दौड़ना आवश्यक होगा।
18. अन्य क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार शासनादेशानुरूप अनुमन्य होगा।
18. पर्वतीय मूल से तात्पर्य समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशानुसार पर्वतीय क्षेत्रों के मूल निवासी से है।
19. शारीरिक दक्षता परीक्षण अवधि 15 दिसम्बर,2015 से 20 दिसम्बर,2015 तक प्रस्तावित है।
20. शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए अर्ह होंगें तथा तद्उपरान्त ही उन्हें लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा।

नोटः– उक्त विज्ञप्ति/आवेदन पत्र/एतद्विषयक शासनादेशों/उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली,2013 यथा संशोधित नियमावली,2015, पाठ्यक्रम एवं अन्य जानकारियों के लिए जनपद अल्मोड़ा की एन0आई0सी0 की वेबसाइट **www.almora.nic.in** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व पात्रता के संबंध में जानकारियों/सम्यक नियमों/शासनादेशो का उक्त वेबसाइट पर जाकर विधिवत अवलोकन कर लें।

जिलाधिकारी,अल्मोड़ा
o/c 09/10/15